आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

B.P.P.H.T Appeal No.–64/2024

विश्वनाथ राम...अपीलकर्त्ता

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य ....विपक्षीगण

12.07.2024

आदेश

प्रस्तुत Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy अपीलवाद, न्यायालय जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा पर्चा वाद सं0–02/2022 में दिनांक 27.02.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध इस स्तर पर लाया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को ग्रहण के बिन्दु पर विस्तारपूर्वक सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947 & Rules 1948 के प्रावधान के Sec-11 के तहत प्रस्तुत वाद इस स्तर पर लाया गया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947 के अवलोकन में जिला पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील का कोई प्रावधान अंकित नहीं है। साथ ही उक्त अधिनियम के Sec. 18 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि :-

"......... All orders passed by the Collector in any proceeding under this Act shall be final, and no suit shall lie in any Civil Court to vary or set aside any such order except on the ground of fraud or want of Jurisdiction"

ऐसी स्थिति में प्रस्तुत इस स्तर पर विचारणीय नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने तथा **Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947** के प्रावधानों के अवलोकन में जिला पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपील/आवेदन किए जाने का कोई उल्लेख नहीं पाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने याचिका के साथ ऐसे किसी अधिनियम/नियमावली का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर प्रस्तुत वाद इस स्तर पर विचार योग्य माना जा सके।

उपर्युक्त वर्णित कारण से प्रस्तुत वाद को इस स्तर पर पोषणीय न पाते हुए उसे ग्रहण के बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

तदनुसार प्रस्तुत वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।